

नाम - श्रीमती अमिता राजेश्वरी
पुलिस अधिकारी, जोधपुर
मुख्यालयी १४ फ़िटलू
मालवीय भवन, जोधपुर।

F-65/SC(1)13
3/7

ठिकाना - राजस्थान का अधिकारी अधिकारीय, 2005 के तहत सूचना संपत्ति बनाने।
प्रस्तुत - विभाग महानीवेशक पुलिस, राजस्थान, जोधपुर के आदेश कागज 4337-4497
दिनांक 03.09.2012 कम से।

उल्लेख

राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक पद के काम के लिए है जिस आदेशक की सुधार चाहीं। एवं १००००० विधायक, आमदानीबाट १०० कार्डकर्ता १९०, जद विधायक, जातिय गोपनीय, जाप्तपुर राजस्थान के २३४-५५८, आवेदन एवं दिनांक १२.६.२०१३ के हस्तांतरण में दर्शाया हुआ। इन आदेशक पदों में दर्शाया हुआ का सदृश प्राप्ति कार्यालय से होने के कारण आदेशक एवं अधिकारी की भारा ६३) के महत्व के लिए उपलब्ध है जिस आदेशक हासा वाही भई रुक्ति, जो अद्यते कार्यालय के उपलब्ध है, विषयानुसार लोंगे ऐसे आदेशक का सम्पत्ति कराते हुए इस कार्यालय का आवगत बनाने का श्रम कराये।

विवरण का संबंध आपकी शाखा से ना होकर उपर शाखा/कार्यालय से होना प्रतीक नहीं है तो उस शाखा/कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी जो अन्तर्गत कराये।
उल्लेख - दिनांक ११.०९.२०१२।

उल्लेख,

F-65/SC(1)13

(अजरा निधारी)
महानीवेशक पुलिस (इन्वॉ)

राजस्थान, जोधपुर

एवं लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि :- सूचनाएँ पूर्ण आदर्शक कार्यदर्शी हैं।

१. पुलिस अधीकारी, इन्वॉ, जान जोधपुर एवं विदेशी पर्जायन अधीकारी, जोधपुर शहर के पत्र संख्या २३४-५५ दिनांक ५.६.२०१३ एवं २३४-५५ दिनांक ५.६.२०१३ के कम से।
 २. अपर विल एडिशन्स जोधपुर के पत्र संख्या ५८०-३१.०५.१३ एवं ७८३/७७३ दिनांक २७.५.१३ के कम से।
 ३. अपर विल पुलिस अधीकारी, सूचना का अधिकारी प्रकाश, पुलिस युवजालय, जोधपुर को श्रीमान् महानीवेशक पुलिस, राजस्थान, जोधपुर के आदेश कागज 4337-4497 दिनांक 03.09.2012 कम से।
- विवरण इनकी लकड़ी में लिखा, जानकीजहाँ कार्डकर्ता १९०, जद विधायक, जोधपुर गोपनीय, जोधपुर राजस्थान को प्रेषित कर देखा है, कि गार्डें पत्राचार, संवाद उक्त लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय से करने का श्रम करे।

3181/USC(1)13
05/07

3/7
गोपनीय
10/07/2013
gul

F-65/SC(1)13
महानीवेशक पुलिस (इन्वॉ)
राजस्थान, जोधपुर
एवं लोक सूचना अधिकारी

१

राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलकटर, जोधपुर
क्रमांक : न्याय/लो.सू.आ./2013/१५४८
प्रेषित:-

दिनांक: ३। ०५.२०१३

पुलिस, अधीक्षक,
सी.आई.डी.जॉन,
जोधपुर।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना उपलब्ध
कराने वायत।
(प्रार्थी श्री सुधीर व्यास का प्राथना पत्र दिनांक 20.12.2012)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थी श्री सुधीर व्यास, निवासी 196,
रुफनिवास, जालप मौहल्ला, जोधपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्र संलग्न प्रेषित है।

अतः प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रार्थी को रास्ते उपलब्ध करवाने का श्रम कराये।

संलग्न:- उक्तानुसार।

| |
|-------------------------------------|
| कार्यालय पुलिस, जिला कलकटर, जोधपुर। |
| पुलिस अधीक्षक |
| ३। ०५।२०१३ |
| For/Ref |
| क्रमांक ६७५४ |

भवदीय

अपर जिला मणिस्ट्रेट,
जोधपुर

दिनांक: ०५.२०१३

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, अपर कलकटर-प्रथम, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

VS
१५।०५।१३

अपर जिला मणिस्ट्रेट,
जोधपुर

2011-168/12

15.12.2011

Sudhir Vyas M.D. Medicine
RTI Activist, 196 Roop Niwas
Jelap Mohalla - Jodhpur 342001

प्रतिज्ञा में ;

लोक सूचना अधिकारी

जिलाधीश कार्यालय

जिला जोषपुर, राजस्थान

पिछले :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाला ग्राम्यकर मण्डल द्वारा

विषय :- विषयान्तरगति निवेदन है कि जिलाधीश द्वारा सूचना व संबंधित रखते दरवाजे उपलब्ध करावें

- 1) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष के अंदरक साइपुर जिले में कुल कितने पांकिस्तानी भागरिक लोगे, वीजा प्रकार को उल्लिखित करते हुए सूचना उपलब्ध करावें।
 - 2) उपरोक्त बिंदु संरक्षा (1) में लिखित पांकिस्तानी नागरिकों में से कितने नागरिकों ने वीजा बदलाने द्वारा एवं तापिया पांकिस्तान लाई जाने और वहां व मारते में ही रह जाने द्वारा द्वारा आवेदन किया और उन्होंने कितने लाखिये वीजाओं पर ही थे।
 - 3) ~~पांकिस्तान प्राप्त सूचना द्वारा उपलब्ध करावें।~~
 - 4) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष के अंदरक साइपुर जिले में कुल कितने पांकिस्तानी नागरिकों हुए किये गये स्थायी वाले आवेदनों द्वारा भारतीय नागरिकता द्वारा आवेदनों को आप ले कार्यालय द्वारा अंजूशित हुए गये।
 - 5) कांडे बढ़े हुए वीजाओं और स्थायी वाले स्तर प्राप्त होने के द्वारा व पहचान यहि कोई विदेशी अधिकारी पांकिस्तानी नागरिक वीजा नियमों, भारतीय संवैधानिक कानूनों का एवं अन्य विदेशी व पांकिस्तानी नागरिकों पर लागू भारतीय कानूनों का अवाधि करता पाया जाए त आत्मेप जिन्हे नी हो तो ऐसे विदेशी के पांकिस्तानी नागरिकों के विलहू कार्यालय द्वारा वया भारतीय कानूनानुसार प्राप्तिवान है।
- सूचना प्राप्त करने के शुल्क के रूप में 10/- रुपये (5/- + 5/- रु.) के 2 पोस्टल ऑर्डर संख्या 54C780303 एवं 54C700304 इस आवेदन के साथ संलग्न है। कृपया आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर जुचना उपलब्ध करावें।

विनीत

Sudhir Vyas 15.12.12

लोक सूचना अधिकारी कालबटर जोधपुर
पोस्ट-मेसेंजर नं. 763/ 773
प्रैवित-

दिनांक 27/ 5/ 2013

लोक सूचना अधिकारी
पुलिस अधीकारी
सी. आई.डी. जोन, जोधपुर

मिशन :- सूचना के अधिकारी के हात में दिया गया हो संदर्भित उदाहरण का विवर दाता।

भद्रीय,

श्रीमती - सुधीर व्यास

अधिकारी अन्तर्गत प्रार्थना के पासल आंकड़े राजि 101 सहित / दिना किसी साथ के विवरक... को प्रस्तुत किया है।

श्रीमती सूचना पुलिस अधीकारी सी.आई.डी.जोधपुर से संबंधित है जिसके लोक सूचना अधिकारी आप हैं।

अत एवं वह वाचित सूचना प्रार्थी के अधिलम्ब उपलब्ध करावे अथवा अद्य अधिनियम में प्रतिलिपि/सूचना देव नहीं है तो भी विधिक कारणों से अवगत करावें।

ध्यान रहे कि सूचना के अधिकारी अधिनियम में देव सूचना सामग्र एवं इनकी वाचनता है। अत सूचना विशिष्ट सामग्र ऐ पूर्व उपलब्ध करावें यथोऽप्य।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (5)

भद्रीय

जिला कलबटर पोस्ट-मेसेंजर जोधपुर के निन्यं श्री छाते श्रीमान लेकड़ी उच्ची के बांधित सूचना शास्त्र उपलब्ध करावे अपर जिला कलबटर, जोधपुर दिनांक - सम / 2013 / रा. 763 / प्रतिलिपि प्रार्थी श्री - सुधीर व्यास निवासी 196 को सूचनार्थ एवं आदेशक कार्यदाही हेतु प्रेषित है और लेख है कि इस संबंध में भविष्य में उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी से ही सम्पर्क करावे।

लोक सूचना अधिकारी
अपर जिला कलबटर, जोधपुर

Sudhir Virs *and* *others*
RTI Activists, 196, Room No. 9
Jalap Roadia - Jodhpur 342001

प्रतिष्ठा मे

लोक सूखना अधिकारी
गिलाईश वार्धलिथ
जिसा जोधपुर राजस्थान

विषय :- राजना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत राजना प्राप्त करने का विषय गान्धीजी की मृत्यु

विष्णुलालति निवेदन है कि लिखनकरित सूचना त संबंधित रखते
दस्तावेज उपलब्ध कराये

सूचना प्राप्त करने के शुल्क के रूप में 10/- रुपये (5/- + 5/- ल.) के 2 पोस्टल ऑफर सर्वर्वा 54C760303 एवं 54C760304 इस आवेदन के साथ संलग्न है। कपया आवेदन प्रत्यक्ष होने के 30 दिनों के अन्दर अस्तित्व बनाए रखेगा।

ପ୍ରକାଶକ

Sudhir Xya

16/12/17

Dated: 30.01.2013

प्रथम अपीलीय अधिकारी

जिलाधीश कार्यालय

जोधपुर - राजस्थान

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की जाकर नियेदन है कि :-

1. मुझ प्रार्थी ने एक सशुल्क आवेदन दिनांक 17.12.2012 को लोक सूचना अधिकारी जिलाधीश कार्यालय के संबोधन में दिया जा कर सूचना / जानकारी और उससे संबंधित आदेशों व नियमों की जानकारी प्रमाणित प्रतिरूपों के स्पष्ट में चाही हैं और चाही गयी सूचना से संबंधित रखते आवेदन प्रपत्र की प्रतिलिपि साल्वन है। (प्रति संलग्न 1)

2. संबंधित अधिकारीयों ने निर्धारित 30 दिवस के भीतर कोई सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कराई हैं और एक तरह से इंकार ही कर दिया है। चाही गई सूचना अनेकानेक गंभीर तथा वित्तीय अनियमि त्ताओं से संबंधित होते कारण निर्धारित अधिकार तम 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिये थी। (उत्तर प्रति संलग्न 2)

3. प्रत्यु अधिकार तम 30 दिवस के भीतर भी सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

4. इसप्रकार संकेत प्रकारण मेरे आवेदन को नजरअंदाज किया जाकर मुझे सूचनाएँ सुनाया जानवृत्तकार वित्त वित्त जारी रहा है और बेतजह परेशान किया जारहा है। और सूचनाएँ उपलब्ध कराने में संबंधित अधिकारीयण जानवृत्तकर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

5. इस प्रकार मुझ प्रार्थी द्वारा माना जाया है कि स्पष्टतया संबंधित अधिकारीयणों ने भीर लोक सूचना अधिकारी ने धारा 7 (2) के तहत सूचना देने से इंकार कर दिया है।

6. ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके विद्वान अधिकारीयण और लोक सूचना अधिकारी जानवृत्तकर सूचनाएँ उपलब्ध नहीं करा कर प्रार्थी को परेशान करने की मंशा रखते हैं। जबकि विशेषकर प्राक्रियात्मक प्राक्रियाकों के स्वास्थ्य वाले अनुगति सहित सभी प्रकार के विषय व अनुशासनाएँ जिला व प्राद्युम्निक स्तर पर जिलाधीश व जिलाधीश कार्यालय द्वारा ही स्वीकृत, अनुमोदित, प्रेरित एवं पूर्ण ढंगी चाही रही हैं तथा की जाती है।

(३)

२- गांधीगार्डीयना ये दस्तावेजों से इह कही उमियाहित हरे लागतों
आवेगी इसीलिये ये जानदारकर युद्ध सूचना देते से वंचित करना चाहते हैं।

३- अतः प्रथम अधीन प्रस्तुत कर प्रार्थी यह नियेदन करना चाहता है कि धारा ४५ सूचनाएँ य दस्तावेज
अधिसंदर्भ एवं नियमानुसार निशुल्क आपत्त्य घराये जाने का निर्णय प्रदान वस्तुते,
में ये आपेक्षण आपके कार्यालय में फैलाया:- स.अ./पा.ज./13/12 पर दर्ज है। साथ ही
जानदारकर सूचना उपलब्ध नहीं कराने तेजु दोषियों के खिलाफ अतिरिक्त गुरुत्व सचिय परिपत्र धाराक
एफ ३(1) एसी एस/ए/आरटीआई/10 दिनांक 29.04.2011 की अनुसालना में
आवश्यक कार्यदाही करें।

मंत्री

Chand L
Sudhir Vyas

Dated: 20.07.2013

→ (3)

01.04.13.

पत्रादर्शी पेश हुई। अपीलाट सुधीर व्यास निपाती 196, राष्ट्र निवास जालप मोहल्ला, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना—पत्र दिनांक 17.12.12 में उसपे द्वारा (1) वर्ष 2011 तथा 2012 के चाल वर्ष में अब तक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक आये, वीजा प्रकार को उल्लिखित करते हुए सूचना (2) दिन्ह राखा । 1 में वर्पित शाकिस्तानी नागरिकों में से कितने नागरिकों ने वीजा बढ़वाने हेतु एवं वापिस पाकिस्तान नहीं जाने और इस व भारत में ही रह जाने हेतु आवेदन किया और उनमें से कितने धार्मिक वीजाओं पर ही थे। (3) स्थाई वास प्राप्त करने हेतु पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा क्या कारण चलाये जाते रहे हैं और उन कारणों की प्रमाणिकता व कारण जांचने हेतु कोई ठोस व्यवस्था है। (4) वर्ष 2010, 2011 व 2012 के चाल वर्ष में आज तक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा किये गये स्थाई वास आवेदनों तथा भारतीय नागरिकों हेतु आवेदनों को आपके कार्यालय द्वारा संचुर कर आगे अनुशासा हेतु भेजा गया। (5) यदि यहे हुए वीजाओं और स्थाईवास स्तर प्राप्त होने के दौरान व प्रचाल यदि योई विदेशी अथवा पाकिस्तानी नागरिक वीजा नियमों, भारतीय संवधानिक कानूनों का एवं अन्य विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जावे व आरोप सिद्ध भी हो तो, ऐसे विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों के विशेष कार्यवाही हेतु क्या—क्या भारतीय कानूनानुसार प्रावधान है, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यवित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रख्यो।
 (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम, जोधपुर) ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में दिया गया कि अपीलाट द्वारा चाही गई सूचना न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण उनके प्रभारी अधिकारी को जरिए पत्रांक 1974 दिनांक 21.12.12 भेजा गया। न्यायिक शाखा से एक पृष्ठीय सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी को जरिये पत्रांक 13 दिनांक 03.01.13 द्वारा भिजवाई गई।

हमने पत्रावली का अदलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) द्वारा प्रार्थी को प्रार्थना—पत्र में वर्णित सूचना देने के लिए प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित किया। प्रार्थी ने जो दिन्ह द्वारा सूचना मांगी गई उससे संबंधित सूचना प्रार्थी को नहीं दी जाकर न्यायिक शाखा से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. जोन जोधपुर लगातार....

होने से रूचना संवित्त किया रहे हाल दर्शन को लड़ा गया। रूचना को अधिकार अधिनियम, नियन द्वारा उत्तर रसायन जीवित विषय उद्दीपि में ऐसे को रूचना विधिवित किया रखा है जिसकी को रूचना की विधि है इसे द्वारा कर्तव्य हुई, कोइ कारण नहीं बताया गया। इसी प्रकार इन विनियमों द्वारा रूचना पुरिया आईडी, सी.आई.डी. जोन जोधपुर से संबंधित होने को कहा, परन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना—पत्र संबंधित विभाग के रथानान्तरण करना चाहिए या वहां से सूचना मंगायाकर देनी चाहिए, प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। इससे जाहिर होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना संबंधित प्रगारी अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा गंभीरता से नहीं की गई, जो खेदजनक है। अतः इनको हिदायत दी जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना—पत्रों पर अधिनियमों के प्रावधानों की अक्षरतः पालना करते हुए निरसारित यिज्ये जाये।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी रखीकार योग्य होने से स्थीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी द्वारा धंही गई रूचना से संबंधित दस्तावेज जो इस कार्यालय से संबंधित है, की प्रतियां उक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 15 दिवस में दिये जावे तथा जो सूचना सी.आई.डी. जोन जोधपुर से संबंधित है, प्रार्थना—पत्र तुरन्त रथानान्तरण करेंगा वहां से सूचना प्राप्त कर दी जाय। लोक सूचना अधिकारी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी सूचनां उपलब्ध नहीं कराता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें। पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन जोधपुर से भी अवैधता की जाती है कि प्रार्थना—पत्र वर्णित सूचना जो आपके कार्यालय से संबंधित है, प्रार्थी को 15 दिवस में विधिक प्रावधानों के तहत सूचना दी जावे। आदेश की प्रति संबंधित जीवन्यां सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

गोपनीय
गोपनीय
गोपनीय

प्रायासय विना कलबटर, फोदर
क्रमांक/कोटी 1/8३ दिनांक 22.05.13
प्रतिलिपि वर्णन संबंधित अधिनियम इह
दृष्टार्थ एवं कार्यालय का दृष्टार्थ द्वारा सुनाया गया है। जीवन्या (गोपनीय)
की विवित है।

कार्यालय
प्रायासय
कलबटर, फोदर

6

राज्य विशेष शाखा, राजस्थान, जयपुर।

குடிக்கீர்தா-15(97)மதுப்போர்ஜா/வினா/விடுயல்/2013/ 330-34

जयपुर, दिनांक :- १८.६.२०१

विदेश के (प्रियजन) एवं विद्युतिकार्यों
मुख संग्रहालय, भारत राष्ट्रकार,
दूसरी तीरी २ विजयनगर,
बैंगलोरु ५. अंडा नं. ३१ वा ३२।

~~R-6851/13
3/7~~

विषय रसूधा का अधिकार अधिगेयता, 2005 के सहित राजना उपलब्ध करवाए।

प्रताप शर्मा गहानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 4337-4497
दिनांक 03.09.2012 का है।

464

सम्बन्धित विषयान्वित प्रारंभिक पत्र के काग में लिखेदर है कि आवेदक श्री सुधीर छास, एफडी० मौजिदन, अस०टी०आई० कार्यकर्ता -१९६, रूप भिवास, जातप मौजिला, जोधपुर राजस्थान के ३३क-३४क आवेदन पत्र दिनांक १२.६.२०१३ वाले इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन पत्र में चाली पाई दृश्यता का वर्णन आपके कार्यालय से होने के क्षण आवेदन पत्र अधिग्रहण की धारा ६(३) के तहत अन्वयन कर अनुरोध है कि आवेदक द्वासा वाही गई दृश्यता जो आपके कार्यालय में उपलब्ध है, विषयानुसार शीघ्र ही आवेदक को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत करवाए का ब्रा करावे।

यांचे शूद्धाना को संबंध आपकी शाखा से ना होकर अन्य शाखा/कार्यालय से होना चाहिए तो उस शूद्धाना/कार्यालय के लोक शूद्धाना अधिकारी को अनुरोध करावे।

३५८

6/8.6.13

(संस्कृत भेदभाव)
प्राचीनिकता के पुरातन (इन्हीं)
सांख्यिकी, अध्ययन

ਪੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

परिस्थिति : शुद्धार्था पुरा आवश्यक कार्यवाही है।

- पुलिस अधीकारक, इंदौर जोन जोधपुर एवं विदेशी पंजीयन अधिकारी, जोधपुर शहर के पत्र रांख्या 2394 नं ७६ दिनांक ५.६.२०१३ एवं २३८९-९० दिनांक ४.६.२०१३ के काम में।
 - अपर लिंगा गोडिरद्वेष जोधपुर के पत्र रांख्या १५८०-३१.०५.१३ एवं ७६३/७७३ दिनांक २७.५.१३ के काम में।
 - अधिकारक पुलिस अधीकारक, रुक्मा का अधिकार प्रकोष्ठ, पुलिस पुस्तकालय, जयपुर को श्रीमान उमापालशर्मा पुलिस, राजस्थान, जोधपुर के अदेश कामांक ४३३-४४९७ दिनांक ०३.०९.२०१२ काम में।
 - पैरा एवं रुपौदी गेडिसन, आरटीओआरॉन कार्यकारी ट्रॉप, सब निवारण, जातीय गॉडलॉन, जोधपुर राजस्थान को प्रोत्तेज कर लेख है कि भावित पञ्चायर/सम्पर्क उक्त तांक सूचना अधिकारी के कार्यालय से करने का श्रम करें।

५८.६.१३
महानिरीक्षक पुस्तिका (इन्टरॉ)
राजनीतिकान, भारतपुर
कृष्ण लोक संघान अधिकारी

(8) (9)
1

राजस्थान--सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, जोधपुर
क्रमांक : न्याय / लो. सू. अ. / 2013 / १५४८
प्रेषित:-

दिनांक: ३ | .05.2013

पुलिस, अधीक्षक,
सी.आई.डी.जोन,
जोधपुर।


विषय :— सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने वाले।
(प्रार्थी श्री सुधीर व्यास का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2012)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थी श्री सुधीर व्यास, निवासी 196, रूपनिवास, जालप मौहल्ला, जोधपुर से प्राप्त प्रार्थना पत्र संलग्न प्रेषित है।

अतः प्रार्थी द्वारा बांछित सूचना प्रार्थी को शीघ्र उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।

संलग्न:— उक्तानुसार।



भवदीय

अपर जिला मणिस्ट्रेट,
जोधपुर

दिनांक: .05.2013

क्रमांक : सम . / 2013 /

प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर-प्रथम, जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अपर जिला मणिस्ट्रेट,
जोधपुर

(1) (2)

पा. 763/m

15-12-2012

Sudhir Vyas M.D. Medicine
RTI Activist, 196 Roop Niwas
Jalap Mohalla - Jodhpur 342001

प्रतिष्ठा नं;

लोक सूचना अधिकारी
जिलाधीश कार्यालय
जिला जोधपुर, राजस्थान

R/T
18/12
21818
19/12/12

**विषय:- सूचना के अधिकार आधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने वाला
मान्यवर महोदय**

प्रियान्तरगति निवेदन है कि निम्नलिखित सूचना व संबंधित रखते
दस्तावेज उपलब्ध करावे

- 1) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अवाक्तव्य जोधपुर ज़िले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक
जाए, वीजा प्रकार को उल्लेखित करते हुए सूचना उपलब्ध करावे।
 - 2) उपरोक्त बिंदु संख्या (1) में वर्णित पाकिस्तानी नागरिकों में से कितने नागरिकों
ने वीजा बदलाने हेतु एवं ताफिस पाकिस्तान नहीं जाने और यहां व भारत में ही रह
जाने देने हेतु आवेदन किया और उनमें से कितने शार्मिक वीजाओं पर ही थे।
 - 3) संख्या (1) का प्राप्त सारांश उपलब्ध करावे।
 - 4) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अवाक्तव्य जोधपुर ज़िले में कुल कितने पाकिस्तानी
नागरिकों द्वारा किये गये स्थायी वास आवेदनों तथा भारतीय नागरिकता हेतु
आवेदनों को आप के कायदिय द्वारा मंजूर कर आगे अनुग्राम हेतु वीजा दिया।
 - 5) यदि बड़े हुए वीजाओं और स्थायी वास सार प्राप्त होने के द्वारा व घोषित यदि
कोई विदेशी अथवा पाकिस्तानी नागरिक वीजा लियाँ, भारतीय संवैधानिक कानूनों
का एवं अन्य विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू भारतीय कानूनों का
उल्लंघन करता पाया जाए व आरोप लिया गया हो तो, ऐसे विदेशी या पाकिस्तानी
नागरिकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु क्या क्या भारतीय कानूनानुसार प्रावधान है ?
- सूचना प्राप्त करने के शुल्क के रूप में 10/- रुपये (5/- + 5/- रु) के 2 पोस्टल ऑर्डर संख्या 54C760303 प्रयं 54C760304
इस आवेदन के साथ संलग्न है। कृपया आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करावे।

विनीत

Sudhir Vyas 15.12.12

2012

६ ९
१

राजस्थान राजकारण

कार्यालय लोक सूचना अधिकारी अपर जिला कलवटर, जोधपुर

मामूली-लोकसूचना/2013/ फाँटा 763/ ७७३
दिनांक २७/५/2013

दिनांक २७/५/2013

लोक सूचना अधिकारी
प्राप्ति संग्रहक
सी. आई. डी. जोन, जोधपुर

| | |
|---------------------------|------------------|
| राजस्थान लोकसूचना अधिकारी | लोकसूचना अधिकारी |
| गुलिस अधिकारी | गुलिस अधिकारी |
| अ.पु.अ. २ | ४०५ |
| दिनांक २७/५/2013 | |
| अनुमति | Force ८८८ |
| सामान्यक्रम ६४४६ दिनांक | |

विषय :- सूचना के अधिकार के तहत आगे विषयों से संबंधित आवेदन २८ मई २०१३

भवदीय,

प्रार्थी

सुदृश व्यास

राजकारण अन्तर्गत प्रार्थी नव पारदल आईर राशि १०/ सहित / बिना किसी राशि के विवाह को प्रत्युत किया है।

विवाह सूचना उपलेख अधिकारी, सी.आई.डी.जोन, जोधपुर से संबंधित है जिसके लोक सूचना अधिकारी शामि है।

अतः परीक्षण कर वाइट सूचना प्रार्थी को अधिकार उपलब्ध करावे अथवा यदि अधिनियम में प्रतिलिपि / सूचना देना नहीं है तो भी विविक कारणों से अवगत करावे।

ध्यान रहे कि सूचना का अधिकार अधिनियम में देव सूचना समय पर देने की व्यवस्था है। अतः सूचना निर्धारित समय से पूर्व उपलब्ध करावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

जिला कलवटर न्यौन्टर्स पोर्ट
के निर्णय श्री चार्टर श्री प्रकाश कर्मचारी
उपर्युक्त को वांछीत सूचना श्री द्वि उपलब्ध करावे।

मामूली-राग/2013/ फाँटा ७६३/

लोक सूचना अधिकारी
अपर जिला कलवटर, जोधपुर

दिनांक / / 2013

प्रतिलिपि प्रार्थी श्री सुदृश व्यास निवासी १९६ रुप निवास जालपा झोहला पोर्ट को सूचनाथी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कर लेख है कि इस संबंध में भवित्व में उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी से ही सम्पर्क करते।

लोक सूचना अधिकारी
अपर जिला कलवटर, जोधपुर

पा. नं. 763/12

१२
३

15.12.2012.

Sudhir Vyas M.D. Medicine
RTI Activist, 196, Ravi Niwas
Jodhpur Moriala - Jodhpur 342001

प्रतिलिपि में :

लोक सूचना अधिकारी
जिलाधीश कार्यालय
जिला जोधपुर, राजस्थान

८/१
१०.१२
२१८१८
१९/५/१२

**विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का लाभ
ग्रान्त्याचर महोदय**

**विषयाल्पति निवेदन है कि विभिन्न विभिन्न सूचना व संबंधित रखने
दस्तावेज उपलब्ध कराते**

- 1) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अवतक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक आये, वीजा प्रकार को उल्लेखित करते हुए सूचना उपलब्ध कराते ?
- 2) उपरोक्त बिंदु रांख्या (1) में वर्णित पाकिस्तानी नागरिकों में से कितने नागरिकों ने वीजा बटवाने हेतु एवं वापिस पाकिस्तान नहीं जाने और यहाँ व भारत में ही रह जाने देने हेतु आवेदन किया और उनमें से कितने शारीरिक वीजाओं पर ही थे ?
- 3) स्थायी वास प्राप्त करने हेतु पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा क्या प्राप्ति बताये जाते हैं ?
क्षात्रिय वर्ग के लोगों के विवरण का वर्णन करना विदेशी अधिकारी को किसी तरह विवरण नहीं है ?
- 4) वर्ष 2011 तथा 2012 के चालू वर्ष में अवतक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा किये गये स्थायी वास आवेदनों व भारतीय नागरिकों हेतु आवेदनों को आप के कायाक्रिय द्वारा मंजूर कर आगे अनुशंसा हेतु डेजा गया.
- 5) यदि बड़े हुए वीजाओं और स्थायी वास रत्त प्राप्त करने के द्वारा व एक विदेशी अधिकारी पाकिस्तानी नागरिक वीजा नियमों, भारतीय रांचीनिक कानूनों का एवं अन्य विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाए व आरोप रिंड गी हों तो, ऐसे विदेशी या पाकिस्तानी नागरिकों को विरुद्ध कायाक्रिया हेतु क्या क्या भारतीय कानूनानुसार प्रावधान है ?

सूचना प्राप्त करने के शुल्क के रूप में 10/- रुपये (5/- + 5/-रु) के 2 पोस्टल ऑडिर सर्कंसा 54C760303 एवं 54C760304 इस आवेदन के साथ संलग्न है। कृपया आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सूचित उपलब्ध करायें।

धिनीत

१२/१२

Sudhir Vyas 15.12.12

Dated: 20.01.2013

To,

प्रथम अपीलीय अधिकारी

जिलाधीश कार्यालय

झोप्पुर - राजस्थान

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की जाकर नियेदन है कि :-

1. मुझ प्रार्थी ने एक सशुल्क आवेदन दिनांक 17.12.2012 को लोक सूचना अधिकारी जिलाधीश कार्यालय के संबोधन में दिया जा कर सूचना / जानकारी और उससे संबंधित आदेशों ये नियमों की जानकारी प्रमाणित प्रतियों के रूप में चाही हैं और चाही गयी सूचना से संबंधित रखते आवेदन प्राप्ति की प्रतिलिपि संलग्न है। (प्रति संलग्न 1)
2. संबंधित अधिकारियों ने निर्धारित 30 दिवस के भीतर कोई सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कराई हैं और एक तरह से इंकार ही कर दिया है। चाही गई सूचना अनेकानेक गंभीर तथा वित्तीय अनियमि तत्त्वाओं से संबंधित होने कारण निर्धारित अधिकार तम 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जानी चाहिये थी। (उत्तर प्रति संलग्न 2)
3. प्रत्यक्ष अधिकार तम 30 दिवस के भीतर भी सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
4. इसप्रकार ये नकारात्मक प्रकारण मेरे आवेदन को बजरांदाज किया जाकर मुझे सूचनाएँ नहीं जानबूझकर बंचित किया जा रहा है और बेदजह परेशान किया जा रहा है। और सूचनाएँ उपलब्ध कराने में संबंधित अधिकारीगण जानबूझकर बाधा उत्ताप्त कर रहे हैं।
5. इस प्रकार मुझ प्रार्थी द्वारा माना गया है कि स्पष्टतया संबंधित अधिकारीगण ने और लोक सूचना अधिकारी ने धारा 7 (2) के तहत सूचना देने से इंकार कर दिया है।
6. ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके विद्वान अधिकारीगण और लोक सूचना अधिकारी जानबूझकर सूचनाएँ उपलब्ध नहीं कर प्रार्थी को परेशान करने की भाँशा रखते हैं। अद्वितीय विशेषज्ञ प्राक्तिकरण विभाग व जिलाधीश कार्यालय द्वारा ही स्वीकृत, अनुनोदित, प्रेरित एवं पूर्ण की जाती रही हैं तथा की जाती हैं।

(७)

(१)

(३)

$\frac{2}{4}$

- ७- मांगी गई सूचना य दस्तावेजो से कई गंभीर अनियमितताएँ सामने आयीं गई उसीलिये वे जानकार गुज्रे सूचना देने से वंचित करना चाहते हैं।
- ८- अतः प्रथम अपील प्रस्तुत कर प्रार्थी यह नियेदन करना चाहता है कि धारी गई सूचनाएँ य दस्तावेज अधिलंग एवं नियमानुसार नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय प्रदान कराये, भौतिक जालेदार पुष्ट एवं प्राप्तके कानूनिय में कमाल :- स.अ./पा.स./13/12 पर दृष्टि है। साथ ही जानपूछकर सूचना उपलब्ध नहीं कराने हेतु दोषियों के खिल्फ अतिरिक्त मुख्य सचिय परिपत्र फ्रान्सांक एफ ३(१) एस/एए/आरटीआई/१० दिनांक २९.०४.२०११ की अनुपासना में आवश्यक कार्यसाही करें।

मालवीय

Sachin

Sachin Wala

Dated: २०.०७.२०१३

→ (३)

७८

| | | |
|------------------------------|---|---|
| तारीख हुक्म | <p>इसमें या कार्यवाही में इनिशियल जज सुधीर व्यास बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलकटर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ। अपील संख्या 27/13</p> | <p>नं० ४ तारीख अहकाम जो इस दृष्टि की तारीख में जारी हुए</p> |
| 01.04.13 | <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलांट सुधीर व्यास निवारी 196, रूप निवास जालप मोहल्ला, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना—पत्र दिनांक 17.12.12 में उसके द्वारा (1) वर्ष 2011 तथा 2012 के चाल वर्ष में आब तक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिक आये, बीजा प्रकार को उल्लेखित करते हुए सूचना (2) विन्दु संख्या 1 में वर्णित पाकिस्तानी नागरिकों में से कितने नागरिकों ने बीजा बढ़ाने हेतु एवं वापिस पाकिस्तान नहीं जाने और यहाँ व भारत में ही रह जाने हेतु आवेदन किया और उनमें से कितने धार्मिक बीजाओं पर ही थे। (3) स्थाई वास प्राप्त करने हेतु पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा क्या कारण बताये जाते रहे हैं और उन कारणों की प्रगाणिकता व कारण जांचने हेतु कोई ठोस व्यवस्था है (4) वर्ष 2010, 2011 व 2012 के चालू वर्ष में आज तक जोधपुर जिले में कुल कितने पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा किये गये स्थाई वास आवदनों तथा भारतीय नागरिकता हेतु आवेदनों को आपके कार्यालय द्वारा मंजूर कर आगे अनुरोध हेतु भेजा गया। (5) यदि बढ़े हुए बीजाओं और स्थाईवास स्तर प्राप्त होने के दौरान व प्रदाता यदि कोई विदेशी अथवा पाकिस्तानी नागरिक बीजा नियमों, भारतीय संवैधानिक कानूनों का एवं अन्य विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता पाया जावे व आरोप सिद्ध भी हो तो, ऐसे विदेशी व पाकिस्तानी नागरिकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु क्या—क्या भारतीय कानूनानुसार प्रावधान है, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलकटर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यधित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलकटर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>रेस्पो.पक्ष (अपर कलकटर प्रथम, जोधपुर) ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में बताया गया कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण उनके प्रभारी अधिकारी को जरिये पत्रांक 1974 दिनांक 21.12.12 भेजा गया। न्यायिक शाखा से एक पृष्ठीय सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी को जरिये पत्रांक 13 दिनांक 03.01.13 द्वारा प्रिजावाई गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी (अपर कलकटर प्रथम जोधपुर) द्वारा प्रार्थी को प्रार्थना—पत्र में वर्णित सूचना देने के लिए प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित किया। प्रार्थी ने जो विन्दुवार सूचना मांगी गई उससे संबंधित सूचना प्रार्थी को नहीं दी जाकर न्यायिक शाखा से अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना पुलिस अधीक्षक रमेश आर्डडी. जोन जोधपुर लगातार....</p> | |

(1)

(2)
6

होने से सूचना संबंधित विभाग रो प्राप्त करने को कहा गया। सूचना का अधिकार अधिनियम/नियम के तहत दस्तावेज की प्रतियाँ नियत आवधि में देने का शुल्क निर्धारित किया गया है पिछे भी प्रार्थी को दस्तोवज की प्रतियाँ देने में ख्या कठिनाई हुई, कोई कारण नहीं बताया गया। इसी प्रकार जिन विन्दुओं की सूचना पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, जोधपुर से संबंधित होने को कहा, परन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थना-पत्र संबंधित विभाग के रथानान्तरण करना चाहिए या वहाँ से सूचना मांगवाकर देनी चाहिए, प्रत्युत प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। इससे जाहिर होता है कि सूचना वज अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना संबंधित प्रभारी अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा गम्भीरता से नहीं की गई, जो खेदजनक है। अतः इनको हिदायत दी जाती है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना-पत्रों पर अधिनियमों के प्रावधानों की आकरतः पालना करते हुए निरस्तारित किये जायें।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य होने से रवीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित दस्तावेज जो इस कार्यालय से संबंधित है, की प्रतियाँ उक्त अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए 15 दिवस में दिये जावे तथा जो सूचना सी.आई.डी. जोन जोधपुर से संबंधित है, प्रार्थना-पत्र तुरन्त रथानान्तरण करेगा वहाँ से सूचना प्राप्त कर दी जाय। लोक सूचना अधिकारी को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी सूचना संपलाय नहीं करता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रतावित करें। पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन जोधपुर से भी आगेका यही जाती है कि प्रार्थना-पत्र वर्णित सूचना जो आपके कार्यालय से संबंधित है, प्रार्थी को 15 दिवस में विधिक प्रावधानों के तहत सूचना दी जाये। आदेश की प्रति संबंधित वहीं सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

गौरत गोयत
पुलिस असेटफल्स पुलिस असेटफल्स

स्थानालय जिला कलवटर, जोधपुर
मात्राक/कोटी/ 185/ दनांक.... 22.05.13
प्रतिलिपि पत्र संवर्धन समिक्षा विभाग
सूचनार्थ एवं प्रावधान कार्यवाही संस्कारण
की प्रेषित है।

कलवटर, जोधपुर
गोपनीय राजा राजेश राजा राजेश
कलवटर, जोधपुर

Rajesh Vyas

RTI MATTER / BY SPEED POST

RTI/91/2012-F-I
Government of India
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, dated 25th July, 2013

To
✓ The Principal Secretary (Home),
Department of Home
Govt of Rajasthan


26 JUL 2013

Subject : Information sought under the RTI Act, 2005.

Sir,

I am directed to enclose herewith an RTI application dated 15-12-2012 from Shri Sudhir Vyas on the subject mentioned above received by the undersigned on 05-07-2013 on transfer from Sh. Rajesh Nirwan, DIG Police(Intelligence), Special Branch, Jaipur, Rajasthan vide their O.M. No.V-15(97)DIG/SPL/RTI/2013/330-334 dated 18-06-2013.

2. The information sought by Shri Sudhir Vyas on Point nos. 1 to 3 of the RTI application, is regarding the extension of visa/residential permits etc., of Pakistani national in Jodhpur District. Since the subject matter is closely connected with the functioning of the concerned State Government/FRRO/FROs, the RTI application is being transferred to the Home Department, Govt. of Rajasthan under Section 6 (3) (ii) of the RTI Act. 2005, with a request to furnish the requisite information on points 1 to 3 of the RTI application to the applicant directly within the prescribed time limit.



Yours faithfully,

Vikas Srivastava

(Vikas Srivastava)
Under Secretary (Foreigners) and CPIO

Copy for information to

- ✓ 1. Shri Sudhir Vyas, M.D. Medicine, RTI Activist, 196 Roop Niwas, Jalap Mohalla, Jodhpur-342001
- ✓ 2. Shri Rajesh Nirwan, DIG Police (Intelligence) & CPIO, Special Branch, Jaipur, Rajasthan

Vikas Srivastava

(Vikas Srivastava)
Under Secretary (Foreigners) and CPIO

O/L

RTI MATTER / BY SPEED POST

RTI/91/2013-F-I
Government of India
Ministry of Home Affairs

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi, dated 31th July, 2013

To

Sh. Sudhir Vyas,
M.D. Medicine,
RTI Activist,
196 Roop Niwas,
Jalap Mohalla,
Jodhpur-342001
Rajasthan

Subject: Information sought under the RTI Act, 2005

Sir,

Please refer to your application dated 15.12.2013 (received by the undersigned on 05.07.2013 on transfer from Sh. Rajesh Nirwan, DIG(Intelligence) & CPIO, Special Branch Rajasthan, Jaipur vide their O.M. No.V-15(97)DIG/Sp/RTI/2013/330-34 dated 18.06.2013), seeking information under the RTI Act, 2005.

2. With regard to the information sought by you in point no.4 of the RTI application, it may be stated that as per information available during the year 2011, proposals for grant of LTV to 105 Pakistani nationals living in the State of Rajasthan have approved by the Ministry of Home Affairs. During 2012, proposals for grant of LTV in respect of 142 Pakistani nationals living in the State of Rajasthan were approved by the Ministry of Home Affairs. With regard to grant of Indian Citizenship, during the year 2011-2012, 14 citizenship certificate were issued in respect of Pakistani nationals living in the State of Rajasthan. Decentralized data, district-wise, of cases of Pakistani nationals whose LTV proposals were approved by the Ministry of Home Affairs is not centrally maintained.

3. With regard to the information sought by you in point no 5 of the RTI application, it may be stated that necessary inquiries are conducted when a Pak national who is living in Indian on LTV is found to have violated any Indian laws. On completion of the inquiry and its consequent findings, the Pak national is either deported/repatriated as per provisions of section 3(2)(c) of the Foreigners Act,1946 or action is taken to book him/her under the relevant Acts. In all cases, where the Pakistani national is arrested and action is taken under the relevant Acts, he/she is deported /repatriated only after completion of the sentence/court proceedings.

4. In case you are not satisfied with the information furnished, you may file an appeal before the Appellate Authority i.e. Shri V. Vumlunmang, Joint Secretary (Foreigners), Ministry of Home Affairs, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110011 within the prescribed time limit.

Yours faithfully,

Vikas Srivastava

(Vikas Srivastava)
Under Secretary (Foreigners) & CPIO

AC